

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : गितेश श्री मालवीय आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (नि.पं.)

पंजीयन दिनांक 02.08.2017

G.C.M.S. NO. :_ 2017/00099

श्री भैरूलाल पिता डाडमचन्द पुष्करणा ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील इंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-निगराकार

बनाम

- 1-श्री किशनलाल पिता पृथ्वीराज पुष्करणा ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील इंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-ग्राम पंचायत संगेसरा, पंचायत समिति, इंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-तहसीलदार इंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 361 दिनांक 22.09.2004 ग्राम पंचायत संगेसरा

उपस्थिति : 1-श्री चम्पालाल जाट, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांक 27.05.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 के द्वारा निगराकार एवं गांव के निवासियों के हितों के विपरीत विपक्षी संख्या 1 को पट्टा क्रमांक 361 दिनांक 22.09.2004 को जारी किया है जो पूर्णतया अवैध है। ग्राम अरनिया पंचायत संगेसरा की आराजी नम्बर 421 किस्म आबादी है जो निगराकार के मकान से लगी हुई है तथा आराजी



नम्बर 265 किस्म रास्ता है इसी रास्ते पर विपक्षी को अतिक्रमण करवाने की नियत से विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया है जो पूर्णतया विधि-विपरीत एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 361 दिनांक 22.09.2004 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति इंगला ने अपने पत्रांक/पंचा/2018-19/ 395 दिनांक 24.07.2018 से रेकार्ड में उपलब्ध पट्टे से संबंधित रेकार्ड (पट्टा बुक, रोकड़ बही एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर) प्रस्तुत किया। पट्टे से संबंधित मिसल प्रस्तुत नहीं की गई। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया एवं पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा निगरानी में जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा उसके पश्चात् गैर निगराकार संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित भी नहीं हुए जिससे प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनकर प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 2 ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत पट्टा संख्या 361 दिनांक 22.09.2004 को जारी किया जो कि आराजी नम्बर 265 किस्म रास्ता में स्थित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने जान-बुझकर गैर निगराकार संख्या 1 को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कराने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जबकि उक्त स्थान पर होलिका दहन का कार्यक्रम भी होता है। निगराकार द्वारा इस संबंध में गैर निगराकार संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार, इंगला से भी शिकायत की गई लेकिन उनके द्वारा भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करके मुझे सिविल कोर्ट में वाद पेश करने को कहा। विधिनुसार जब पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत कोई पट्टा जारी किया जाता है तो आस-पड़ोस से पूछताछ की जाती है एवं आबादी भूमि में ही पट्टे जारी किये जाते हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे से संबंधित मिसल मांगने पर सचिव द्वारा रेकार्ड में मिसल उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल कायम नहीं की गई। मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा ना ही कोई सार्वजनिक सूचना हेतु नोटिस जारी किया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में तहसीलदार इंगला के आदेश की पालना में दिनांक 24.11.2016 को पट्टा हल्का संगेसरा मौके पर पहुंचे तथा जांच में आराजी नम्बर 265 किस्म रास्ता में विपक्षी के मकान का निर्माण होना पाया। अतः गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को रास्ते की



भूमि पर पट्टा जारी किया है जो पूर्णतया अवैध है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 361 दिनांक 22.09.2004 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। निगराकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उक्त पट्टे से संबंधित रेकार्ड की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही जाने पर सचिव, ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा मात्र पट्टे की प्रति उपलब्ध कराई गई एवं मिसल से संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया है। इस न्यायालय द्वारा भी ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इंगला द्वारा मात्र पट्टा बुक, रोकड़ बही एवं बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर ही भिजवाया गया है। उक्त पट्टे से संबंधित मिसल/पत्रावली नहीं भिजवाई गई है जो कि इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई और राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं की गई है। अतः तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत, संगेसरा द्वारा मात्र खाना-पूर्ति करते हुए नियमों की अनदेखी कर उक्त पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अधिवक्ता निगराकार द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात के अन्तर्गत तहसीलदार, इंगला के आदेश क्रमांक 762-64 दिनांक 16.08.2016 की पालना में पट्टा हल्का संगेसरा द्वारा दिनांक 24.11.2016 को तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया जिसमें आराजी नम्बर 421 रकबा 0.9740 किस्म आबादी के मध्य में स्थित आराजी नम्बर 265 रकबा 0.4430 किस्म रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त रास्ते के दोनों ओर मकान बने हुए होना बताया है तथा रास्ते की भूमि पर प्रताप पिता प्यारचन्द, तुलसीराम, दयाराम, राधाकिशन पिता मोतीलाल, प्रेमशंकर, प्रकाश पिता रतनलाल पुष्करणा तथा गैर निगराकार संख्या 1 किशनलाल पिता पृथ्वीराज के मकान बने हुए होना बताया है। अतः प्रथम दृष्टया किस्म रास्ते की भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है जबकि ग्राम पंचायत को भूमि आबादी में दर्ज होने पर ही पंचायतीराज नियमों/ उपनियमों के तहत नियमानुसार भूखण्ड निलाम/आवन्तन करने व पट्टे जारी करने के अधिकार है।



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत संगेसरा, पंचायत समिति, इंगला द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 361 दिनांक 22.09.2004 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत संगेसरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान एवं अन्य प्रकरण से संबंधित आमजन को सुना जाकर कब्जे तथा रास्ते के संबंध में राजस्व रेकार्ड से मिलान कर अन्य तथ्यों के संबंध में पूर्ण जांच कर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

‘निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।’

(गितेश श्री मालवीय)

